कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल कमांक/एफ–1/769/2017/10–11/2510 भोपाल, दिनांक 26-07-2021

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषय:-Diversion of 80.902 hectares of forest/ revenue land (66.377 ha. Forest land + 14.525 ha revenue forest land = 80.902 ha. of forest lane/revnue land) for Shobhapur underground coal mining in favour of M/ s. Western Coal Fields Limited, Pathakhera in Baitul District State of Madhya Pradesh.

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-59/2017-FC दिनांक 03/05/2018

-0-

कृपया प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक / 8-59/2017-FC दिनांक 03 / 05 / 2018 से प्रदत्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा पत्र दिनांक 29 / 06 / 2021 से प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

शर्त	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-1 पर संलग्न है।
(ii)	Application for diversion of entire forest land of 357.079 ha in the project be submitted by WCL for consideration;	शोभापुर खदान का लीज एरिया 343.239हेक्टेयर है जिसका विवरण निम्नानुसार है: Forest land = 273.259 Ha Tenancy land = 54.774 Ha Govt. land = 15.206 Ha Total = 343.239 Ha.लीज में आने वाली 273.259 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में अनुमति की स्थिति निम्नानुसार है:No.Forest land (in ha.)112.00112.002163.2360Part of 1349.248 ha. FC no. 8/130/91/FC dated. 03.02.1997317.121 273.259480.902 270tal273.2591273.2590Note-EC has been procured prior to land acquisition.

		-2-	
·	(iii)	Action is required to be initiated	आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में लेख
> X		against the authorities in WCL in accordance with the Section 3(A) and 3(B) of the Forest Conservation Act, 1980 against the officials who violated the provisions of FC Act 1980. State Government may also initiate legal action under Indian Forest Act,	किया गया है:— (1) संस्था द्वारा कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित एवं शोभापुर खदान के भूमिगत खनन हेतु कुल लीज 343.239 हे. भूमि में से खदान हेतु कुल 273.259 हे. वनभूमि का उपयोग किया गया है। वनभूमि 273.259 हे में से WCL द्वारा वन (संरक्षण)
		1927 for violation of their relevant law;	अधिनियम 1980 के तहत MOEF के पत्र क्र. 8-130/91-FC दि. 03 / 02 / 1997 द्वारा 1349.248 हे. स्वीकृत वनभूमि मे से 163. 2367 हे. वनभूमि का उपयोग इस खदान हेतु किया गया है। MOEF के पत्र क्र. 895/2000-FC/ 792
			दि. 20 / 03 / 2001 के तहत कुल 42.00 हे. स्वीकृति प्राप्त वनभूमि में से 17.121 हे. भूमि का उपयोग इस खदान के लिए खनन कार्य हेतु किया गया है। इस प्रकार शेष 273.259 ha - 163.236 ha
			- 17.121 ha = 92.902 Ha वनभूमि कोल बियरिंग एक्त 1957 के तहत वर्ष 1980 के पूर्व अधिग्रहित की गई है इसलिए 92. 902 हे. वनभूमि में से 12.000 हे. में खनन कार्य वर्ष 1980 के पूर्व सम्पादित हो जाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई एवं आवश्यक भी नही थी ।
			(2) भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21/03/2006 के तारतम्य में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 16/02/2006 के पत्रों से विदित हुआ कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व वनभूमि का CBA (A&D) Act. 1957 के तहत अधिग्रहरण किया गया हो तथा वर्ष 1980 के पश्चात खनन कार्य करना हो तो ऐसी
			स्थिति में उक्त भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है यह संज्ञान में आने के उपरान्त रकबा 80.902 हे. का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वन विभाग को प्रस्तुत किया गया।

	3-	
		(3) आवेदित क्षेत्र में खनन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अस्पष्टता के कारण हुआ है इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का अनुरोध WCL द्वारा किया गया है। विस्तृत विवरण Annexure-2 पर संलग्न है।
(iv)	The Regional Office, Bhopal shall visit the Shobhapur underground mining project and report the status of the forest clearance and the ongoing mining activities without valid Forest clearance under section 2(ii) of the FC Act along with the Nodal officer, Forest Conservation, Madhya Pradesh Forest Department. WCL will provide the copy of FC granted in past along with the details of the mining area of Sobhapur underground mining project over 460.844 ha which as per the EC report involves 357.079 ha of forest land. The state Government shall submit documentary evidence for the forest area broken up prior to 25.10.1980 and after 25.10.1980 to the date of filing of proposal and current status of operations in proposed area.	इस शर्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना है।
(v)	The Regional Office Bhopal should investigate along with the concerned officers of the forest department and WCL the status of entire Patherkhera coal block in Madhya Pradesh, the extent of forest land and the status of clearances in all such cases and submit comprehensive report on Forest clearance;	इस शर्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना है।
(vi)	WCL will deposit the NPV for the entire 357.079 ha immediately since the forest land has been used by the WCL in Sobhapur underground project in contravention of the FC Act,;	पर प्रस्तावित रकबा 80.902 हे. की एन.पी. व्ही. की राशि ही लिये जाने का अनुरोध दिनांक 08 / 11 / 2018 से किया गया था

		WCL द्वारा प्रस्तावित रकबा 80.902 हेक्टेयर वनभूमि की एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 2,88,28,431 / – भारत सरकार के कैम्पा मद में जमा किये गये है जमा राशियों का विवरण Annexure-4 पर संलग्न है। आपके द्वारा WCL के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के उपरान्त शेष राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
(vii)	WCL should submit the compliance report of in principle approval granted by this Ministry's letter F.No. 8-102/2004-FC dated 30.01.2012, in favour of WCL for diversion of another parcel of 90.00 ha. of forest land, after expiry of the Forest clearance in 2003 and deposit the compensatory levies of Rs 255462766 with interest of 12% per annum;	WCL द्वारा की एक अन्य शोभापुर खदान रकबा 90.00 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 6,46,96,050/- एवं दाण्डिक क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 16,75,42,827/- कुल राशि रूपये 23,22,38,995/- भारत सरकार कैम्पा मद में दिनांक 02/06/2018 को हस्तान्तरित किये गये है जिसका UTR No. SBINR52018060200041600 है । तथा शेष 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 64,69,605/- व 1,67,54,284/- राशि वन मंडल उत्तर बैतूल में उिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा की गई है। इस प्रकार कुल राशि रूपये 25,54,62,884/-आवेदक संस्था द्वारा जमा किये जा चुके है। जमा राशियों का विवरण Annexure-5 पर संलग्न है।
(viii)	The state government will prepare the wildlife management plan for the Sobhapur reserve forest and the same will be implemented from the funds provided by the WCL. The commensurate funds shall be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA through E-portal;	इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था लेख किया गया है कि यह परियोजना सतही गतिविधियों की नहीं है बल्कि एक भूमिगत कोयला खनन की है इससे वनस्पतियों और जीवों पर शायद ही कोई प्रभाव पडेंगा। इसमें वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्कता नहीं है। प्रस्तावित खदान भूमिगत होने के कारण वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना तैयार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
(ix)	Penalty will be imposed as per the existing guidelines dated 29 th January 2018;	शर्त संख्या (iii) में प्रस्तुत जानकारी अनुसार उल्लंघन नियमों की स्पष्टता न होने के कारण हुआ है। अतः दण्ड अधिरोपित न करने का अनुरोध है।
(x)	Compete compliance of Forest Right Act 2006 in accordance with Ministry's guideline dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 will be done by the State Government and submitted along with the compliance report;	आवेदक संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कलेक्टर, बैतूल का प्रमाण–पत्र क्रमांक. निरंक दिनांक निरंक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति Annexure-6 पर संलग्न है।

	5		
(xi)	This in-principle approval will be effective after the payment of NPV and other outstanding dues with WCL in CAMPA account;	हेक्टेयर रूपये 2 कैम्पा मव का विवर	द्वारा प्रस्तावित रकबा 80.902 वनभूमि की एन.पी.व्ही. की राशि ,88,28,431 / – भारत सरकार के द में जमा किये गये है जमा राशियों एण Annexure-4 पर संलग्न है।
(xii)	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/ 1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	संस्था संलग्न है	
(xiii)	The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'b1e Supreme Court of India;	संस्था संलग्न ह	
(xiv)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage- I clearance;		संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक का वचन—पत्र Annexure-9 पर है।
(xv)	The Forest clearance will be for a period co terminus with the lease period specified in the lease agreement. The State Government will submit the lease agreement document specified in the lease agreement;	क्योंकि	एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है उक्त भूमि CBA (A&D) Act. के तहत अधिसूचित है।
(xvi)	The user agency shall implement the following activities under the supervision of the State Forest Department at the project cost;		
(a)	Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be initiated to be implemented within a period of three years with effect from the date of issue of	यह परि कारण र	संस्था द्वारा लेख किया गया है कि रेयोजना भूमिगत खनन की है इस यह शर्त लागू नहीं होती है।

-5-

	Stage-II clearance in accordance	
	with the approved Plan in consultation with the State Forest Department;	
(b)	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है वि यह परियोजना भूमिगत खनन की है इज कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(c)	Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है वि यह परियोजना भूमिगत खनन की है इन् कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(d)	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/beaching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28° ; and	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है वि यह परियोजना भूमिगत खनन की है इज कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(e)	No damage shall be caused to the top- soil and the user agency will follow the top soil management plan;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है वि यह परियोजना भूमिगत खनन की है इ कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xvii)	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and as annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Addl. Pr. Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities area satisfactorily executed;	

	5-	
(xviii)	The user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि यह परियोजना भूमिगत खनन की होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xix)	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds' nests artificially made out of eco- friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि रकबा 80.902 हे. परियोजना भूमिगत खनन की है अतः उपरि सतह को Disturbed नर्ह किया जाना है।
(xx)	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदव संस्था का वचन पत्र Annexure-10 प संलग्न है।
(xxi)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, न दिल्ली द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति प J-11015/6/2005-I.A II(M) दिनांव 04/10/2006 प्रस्तुत किया है ज Annexure-11 पर संलग्न है।
(xxii)	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	संलग्न है।
(xxiii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	संस्था का वचन पत्र Annexure-13 प संलग्न है।
(xxiv)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदव संस्था का वचन पत्र Annexure-14 प संलग्न है।

(xxv)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	संस्था का वचन पत्र Annexure-15 पर संलग्न है।
(xxvi)	The State Government and the User agency shall ensure de-silting of the village tanks and other water bodies located within five km from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies, whenever required preferably within five years from the date of approval of Stage- II Clearance;	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि यह परियोजना भूमिगत खनन की होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxvii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-16 पर संलग्न है।
(xxviii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-17 पर संलग्न है।
(xxix)	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र Annexure-18 पर संलग्न है।
(xxx)	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	संस्था का वचन पत्र Annexure-19 पर संलग्न है।
(xxxi)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife; and	संस्था का वचन पत्र Annexure-20 पर संलग्न है।
(xxxii)	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	संस्था का वचन पत्र Annexure-21 पर संलग्न है।

- 8 -

अतः आवेदक संस्था का पालन प्रतिवेदन पत्र क्र. 504 दिनांक 17 / 06 / 2021 संलग्न कर प्रकरण में औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध है। संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्यप्रदेश, भोपाल भोपाल, दिनांक 26-07-2021

पु. क्रमांक/एफ—1/769/2017/10—11/**2**51 प्रतिलिपिः–

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश। 1.

वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, उत्तर बैतूल, मध्य प्रदेश। 2.

महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा क्षेत्र, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल 3. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल